

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

दांडिक अपील क्रमांक: 108 / 2015

संस्थित दिनांक-27.03.2015

फाईलिंग नंबर-230303002782015

गब्बरसिंह पुत्र रामौतार सिंह सिसौदिया आयु 36 साल
निवासी ग्राम सिंगवारी पुलिस थाना मालनपुर परगना
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

-----अपीलार्थी / आरोपी

वि रु द्ध

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र मालनपुर जिला-भिण्ड (म0प्र0)

-----प्रत्यर्थी / अभियोगी

राज्य द्वारा श्री भगवानसिंह बघेल अपर लोक अभियोजक
अपीलार्थी / आरोपी द्वारा श्री सुनील कांकर अधिवक्ता

न्यायालय-श्री एस0के0 तिवारी, जे.एम.एफ.सी., गोहद, द्वारा दांडिक प्रकरण
क्रमांक-621 / 2011 इ0फौ0 में निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक 05.03.2015 से उत्पन्न
दांडिक अपील ।

-:- निर्णय -:-

(आज दिनांक 08 दिसंबर-2015 को खुले न्यायालय में घोषित)

01. अपीलार्थी / आरोपी गब्बरसिंह की ओर से उक्त दांडिक अपील धारा-374 द0प्र0सं0 1973 के अंतर्गत न्यायालय जे0एम0एफ0सी0 गोहद श्री एस0के0 तिवारी द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक-621 / 2011 निर्णय दिनांक-05.03.2015 के निर्णय एवं दण्डाज्ञा से विक्षुप्त होकर प्रस्तुत की है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा-25(1-ख)(क) आयुध अधिनियम के अपराध में एक वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था ।

02. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बतायी गयी है कि थाना मालनपुर के ए0एस0आई0 राकेश प्रसाद को दिनांक 18.06.11 को मुखबिर की सूचना मिली कि ग्राम सिंगवारी का रहने वाला गब्बरसिंह सिसौदिया ग्राम सिंगवारी में सड़क के किनारे अपनी पंचर की दुकान में एक 315 बोर का कट्टा लिये वारदात करने की नीयत से बैठा है। जिसकी सूचना रोजनामाचासान्हा क्रमांक-642 पर दर्ज कर सूचना की तशदीक हेतु मय फोर्स के मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचा तो एक व्यक्ति पुलिस की गाड़ी का देखकर जल्दी जल्दी चलने लगा। जिसे घेरकर पकड़ा गया तथा नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम गब्बरसिंह पुत्र रामौतार सिसौदिया निवासी सिंगवारी का होना बताया। तथा तलाशी लेने पर उसकी कमर में बांयी तरफ एक 315 बोर का लोडेड कट्टा खुरसे था जिसे खोलकर देखा तो चैम्बर में 315 बोर का जिन्दा राउण्ड लगा था। कट्टा व

कारतूस का लायसेन्स चाहा तो न होना बताया। अतः आरोपी का उक्त कृत्य धारा-25/27 आयुध अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय होने से पंचान के समक्ष आरोपी से उक्त आयुधों की जप्ती की गई एवं आरोपी को गिरफ्तार कर थाने लाये एवं थाने पर अप0क्र0-98/11 धारा-25/27 आयुध अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया। एवं विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र विचारण हेतु सक्षम जे.एम.एफ. सी. न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोगपत्र एवं उसके साथ संलग्न प्रपत्रों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा-25(1-ख)(क)आयुध अधिनियम के तहत आरोप लगाये गये जिन्हें आरोपी को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोप से इंकार किया, उसका विचारण किया गया। विचारणोपरांत अपीलार्थी को निर्णय की कंडिका-1 के अनुसार दण्डित किया गया, जिससे व्यथित होकर यह दांडिक अपील प्रस्तुत की गयी है।

04. अपीलार्थी/आरोपी की ओर से प्रस्तुत किए गये अपीलीय ज्ञापन में मूलतः यह आधार लिया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं विधान के प्रतिकूल होकर निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रश्न क्रमांक-1 का सकारण निष्कर्ष निकालते समय मात्र अभियोजन साक्षियों के मुख्य परीक्षण पर ध्यान केन्द्रित किया है और प्रतिपरीक्षण के दौरान जो गंभीर विरोधाभाष आये हैं उनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है और मनमाने तरीके से आलोच्य निर्णय पारित किया है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अभियोजन साक्षी क्र0-1 किशन पक्षविरोधी रहा है जिसके कथन से स्पष्ट है कि पुलिस मालनपुर द्वारा थाने पर ही कट्टा व राउण्ड सील किया है मौके पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। तथा अ0सा0-2 दिलीप सविता ने यह बताया है कि आरोपी को अवतारसिंह ने चैक किया था। इसके विपरीत अ0सा0-4 राकेश प्रसाद ने अपने कथनों के पैरा-3 में बताया है कि आरोपी की तलाशी उसके द्वारा ली गई थी। इस तथ्य पर महत्वपूर्ण विरोधाभाष है। असा0-2 ने अपन कथन के पैरा-3 में यह बताया है कि मैं नहीं बता सकता कि आरोपी दिशा की ओर भागा था और कौन से पकड़े पहने था उसे तो अवतारसिंह ने हाथ में कट्टा दिखाया था तथा कथन के पैरा-5 में यह बताया है कि मुझे नहीं मालूम कि कट्टा की लंबाई चौड़ाई कितनी थी तथा अभियोजन साक्षी क्र0-4 अपने न्यायालयीन कथनों में आरोपी की तलाशी लेने के पूर्व अपनी तलाशी किसी अन्य को न देना व्यक्त किया है।

05. अपीलार्थी/आरोपी की ओर से प्रस्तुत किए गये अपीलीय ज्ञापन में यह आधार भी लिया है कि जप्ती पंचनामा प्र0पी0-1 के खाना नंबर-13 में सील नमूना न लाये जाने का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है न ही उसका उल्लेख रोजनामचा में न किये जाने का कोई स्पष्ट कारण बताया है। तथा साक्षी अवतारसिंह के कथन प्रकरण में नहीं कराये गये हैं जो हितबद्ध साक्षी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उल्लेखित न्याय दृष्टांत प्रकरण में लागू नहीं होते हैं। साक्षियों के कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाभाष है। अतः उक्त आधारों पर अपील स्वीकार की जाकर आरोपी को दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना की है।

06. अब प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अपील के निराकरण हेतु मुख्य रूप से निम्न बिन्दु विचारणीय है :-

- 1- "क्या, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित मानकर उस इस अपराध में दोषसिद्ध करदंडित करने में विधि या तथ्य की भूल की गई है ?"

2— क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई दण्डाज्ञा कठोर है ?

—::— **निष्कर्ष के आधार** —::—

07. आरोपी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ताओं ने अपने तर्कों में मूलतः यह व्यक्त किया है कि साक्षियों के कथनों में विरोधाभाष उत्पन्न हुए हैं जिसकी ओर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है और मनमाने तरीके से निष्कर्ष निकालते हुए आलोच्य निर्णय में दोषसिद्धि व दण्डाज्ञा अधिरोपित की है जबकि एकमात्र स्वतंत्र साक्षी चौकीदार किशन प्रक्ष विरोधी रहा है और उसने कथानक का समर्थन नहीं किया है तथा कार्यवाही थाने के अंदर की बताई है कि दरोगा जी पकड़े में कट्टा सीलड कर रहे थे तब उसके हस्ताक्षर करा लिये थे और कोई जानकारी उसे नहीं है। जप्ती गिरफ्तारी के दूसरे साक्षी अवतारसिंह को साक्ष्य में पेश नहीं किया गया है जबकि वह पुलिस का सिपाही होकर थाना मालनपुर में पदस्थ कर्मचारी था जिसके पेश न करने से अभियोजन के विरुद्ध प्रतिकूल उपधारणा बनाई जानी चाहिए थी। इस ओर भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया और आरक्षक दिलीप, ए0एस0आई0 राकेश प्रसाद की साक्ष्य को विश्वसनीय मानने में भी त्रुटि की है क्योंकि स्वयं कार्यवाही करने वाले ए0एस0आई0 राकेश प्रसाद द्वारा आरोपी को स्वयं पकड़ना नहीं बताया है बल्कि आरक्षक अवतारसिंह के द्वारा ही पकड़ा जाना बताया है। हमराह पुलिस आरक्षक दिलीप सविता के द्वारा भी घटना का समर्थन नहीं किया गया है। और वह भी अवतारसिंह के द्वारा उसे कट्टा दिखाया जाना कहता है। इन बिन्दुओं पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने कोई भी निष्कर्ष नहीं दिया है और उसे मौके की स्थिति एवं जप्त किये गये कट्टे के आकार प्रकार के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। विवेचक ने जप्ती की कार्यवाही करने के पूर्व अपनी तलाशी देने से भी इन्कार किया है और मौके पर कट्टा कारतूस सीलड होने के संबंध में दस्तावेज में ही उल्लेख नहीं है न ही रोजनामचा व एफ0आई0आर0 में उल्लेख है तथा अ0सा0-2 व 5 शासकीय सेवक होकर हितबद्ध साक्षी है। इसलिये उनकी साक्ष्य विरोधाभाषों के चलते विश्वसनीय नहीं है। अतः आलोच्य निर्णय स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है और अपील स्वीकार की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि व दण्डाज्ञा को अपास्त किया जाकर आरोपी/अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जावे।

08. इस संबंध में आरोपी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का खण्डन करते हुए विद्वान ए0जी0पी0 द्वारा अपने तर्कों में यह व्यक्त किया गया है कि पुलिस साक्षियों पर इस आधार पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है कि वह शासकीय सेवक होकर पुलिस साक्षी हैं क्योंकि पुलिस पदीय कर्तव्यों के अंतर्गत कार्यवाही करती है। आरोपी/अपीलार्थी की पुलिस से किसी भी प्रकार की कोई दुश्मनी या रंजिश होने का कोई आधार नहीं पाया गया है। न ही उसके संबंध में कोई प्रमाण है। और बचाव का जो आधार लिया गया है कि आरोपी/अपीलार्थी को विरोधियों से मिलकर झूठा फंसा दिया। लेकिन आरोपी/अपीलार्थी के कौन विरोधी हैं, किससे मिलकर पुलिस ने द्वेषपूर्ण कार्यवाही की, इस बारे में कोई प्रमाण या आधार नहीं है। तथा जहाँ तक यह आधार लिया गया है कि आरोपी/अपीलार्थी पंचर की दुकान करता है और पुलिस वाले पंचर जुड़वाते हैं, उसकी मजदूरी नहीं देते हैं लेकिन उसने मजदूरी न मिलने की कोई शिकायत कभी भी किसी भी पुलिस अधिकारी को करना नहीं बताया है इसलिये बचाव के आधार निर्बल हैं और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अभियोजन की उपलब्ध साक्ष्य को विश्वसनीय

मानकर दोषसिद्धि व दण्डाज्ञा अधिरोपित करने में कोई तथ्यात्मक या विधि संबंधी भूल या त्रुटि नहीं की गई है। इसलिये प्रस्तुत की गई दांडिक अपील में कोई बल नहीं है। फलतः अपील निरस्त की जाकर दोषसिद्धि व दण्डाज्ञा की पुष्टि की जावे।

09. उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किये गये विस्तृत तर्कों पर चिंतन, मनन किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह सुस्थापित विधि है कि अपीलीय न्यायालय को भी विचारण के दौरान आई साक्ष्य का मूल्यांकन निष्कर्ष निकालते समय करना चाहिए। जैसा कि न्याय दृष्टांत **म.प्र. राज्य विरुद्ध बल्लोर उर्फ रामगोपाल 2006 भाग-1 म.प्र. विधि भास्वर पेज-1** में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से घटना का आधार प्र0पी0-1 का जप्ती पत्रक और प्र0पी0-2 का आरोपी की गिरफ्तारी का गिरफ्तारी पंचनामा है। कथानक मुताबिक सार रूप में जो घटना बताई गई है उसमें यह बताया गया है कि ए0एस0आई0 राकेश प्रसाद को गस्त के दौरान इस आशय की मुखबिर की सूचना मिली थी कि ग्राम सिंघवारी में रोड़ के किनारे पंचर की दुकान के सामने उसी गांव का निवासी गब्बरसिंह सिसौदिया 315 बोर का देशी कट्टा वारदात करने की नीयत से लिये हुए बैठा था। तब वह मय फोर्स के सूचना की तश्दीक हेतु गया था और आरोपी को पकड़ा था। और उससे कट्टा व कारतूस जप्त किया गया जिसका उस पर कोई वैध शस्त्र लायसेन्स नहीं पाया गया जिस पर से अपराध दर्ज करते हुए कार्यवाही की गई।

10. मौके की कार्यवाही ए0एस0आई0 राकेश प्रसाद द्वारा ग्राम नौनेरा में चौकीदार किशन वाल्मीकि एवं हमराह आरक्षक अवतारसिंह क्रमांक-637 को अभियोजन द्वारा पर्याप्त अवसर साक्ष्य प्रस्तुति के लिये विचारण न्यायालय द्वारा दिये जाने के बावजूद उसे साक्ष्य में पेश नहीं किया गया है। जबकि उसका समंस और जमानती वारण्ट तक तामील हुआ तथा उसे गिरफ्तारी वारण्ट से भी आहूत किया गया किन्तु आरक्षक अवतारसिंह के साक्ष्य में प्रस्तुत न होने से अभियोजन की शेष साक्ष्य का अधिक सावधानीपूर्वक मूल्यांकित करने की आवश्यकता हो जाती है क्योंकि प्र0पी0-1 का जप्ती पत्रक व प्र0पी0-2 का गिरफ्तारी पंचनामा जो कि घटना का आधार स्तंभ है। उनका दूसरा पंच साक्षी चौकीदार किशन अ0सा0-1 के रूप में परीक्षित हुआ है और उसने अपने न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में अभियोजन के कथानक का समर्थन नहीं किया है। उसने प्र0पी0-1 व 2 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर अवश्य बताये हैं किन्तु वह हस्ताक्षर थाने पर दरोगा जी द्वारा करा लिया जाना वह कहता है जब वह ड्यूटी पर गया था। उसका ऐसा भी कहना रहा है कि दरोगा जी ने उसके सामने कट्टा सीलड किया था उसके हस्ताक्षर प्र0पी0-1 पर करा लिये थे और आरोपी को गिरफ्तार किया था जिसके गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0-2 पर उसके हस्ताक्षर करा लिये थे और उससे पूछताछ भी की थी। उसने कट्टा जो पोटली में सीलबंद किया गया था और उस पर हस्ताक्षर किये गये हैं, उसके संबंध में कथन दिये थे। लेकिन उसने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि दिनांक 18.06.11 को दरोगा जी मय फोर्स के थे तो उन्होंने पुलिया पर एक आदमी को पकड़ा था जिसने अपना नाम गब्बरसिंह निवीस सिंघवारी का बताया था। उसने पुलिस को प्र0पी0-3 का ए से ए भाग का संपूर्ण कथन भी देने से इन्कार किया है। उसे यह जानकारी भी नहीं है कि जो कट्टा दरोगा जी सीलड कर रहे थे वह किसका था और दरोगा जी ने उसके किन कागजों पर हस्ताक्षर कराये थे तथा वह कागज किससे संबंधित थे।

11. इस प्रकार से अ0सा0-1 अपने अभिसाक्ष्य में प्र0पी0-1 व 2 पर थाने पर ही हस्ताक्षर करना बताता है। जहाँ वह नियमित ड्यूटी के लिये गया था। जबकि प्र0पी0-1 व 2 के आरोपी को ग्राम सिंघवारी में नरेश गोले के मकान के सामने आम रोड़ से पुलिस

को देखकर तेजी से चलने के कारण उसे पकड़कर पूछताछ करने और जामा तलाशी लिये जाने पर उसकी कमर में बाईं तरफ 315 बोर का कट्टा मय जिन्दा कारतूस के खुरसे हुए होने के आधार पर लायसेन्स के अभाव में प्र०पी०-1 का मौके पर ही जप्ती पत्रक बनाकर कट्टा कारतूस जप्त किया जाना और बिना लायसेन्स के रखे होने के कारण अपराध धारा-25/27 आयुध अधिनियम के तहत दण्डनीय होने के कारण प्र०पी०-2 मुताबिक उसकी गिरफ्तारी करना बताई गई है जिसका अ०सा०-1 के द्वारा कोई समर्थन नहीं किया गया है और वह पक्ष विरोधी रहा है। ऐसे में हमराह पुलिस आरक्षक दिलीप सविता अ०सा०-2 और मौके पर कार्यवाही करने वाले घटना के परिवादी व विवेचक ए०एस०आई० राकेश प्रसाद अ०सा०-4 के ही कथन अभिलेख पर हैं जिनके अभिसाक्ष्य का अत्यंत सावधानीपूर्वक व सूक्ष्मता से मूल्यांकन किये जाने की आवश्यकता हो जाती है। क्योंकि प्र०पी०-1 व 2 के जो पंच साक्षी बताये गये हैं उनका समर्थन प्राप्त नहीं हो सका है।

12. मौके की कार्यवाही करने वाले ए०एस०आई० राकेश प्रसाद अ०सा०-4 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि दिनांक 18.06.11 को वह थाना मालनपुर में पदस्थ था। तब उसे इस आशय की सूचना मिली थी कि सिंघवारी गांव के सामने एक आदमी वारदात करने की नीयत से कट्टा लिये बैठा है तब तश्दीक हेतु वह वहाँ पहुंचा था। तो एक व्यक्ति पुलिस की गाड़ी को देखकर जल्दी जल्दी चलने लगा जिसे घेरकर पकड़ा गया। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम गब्बरसिंह पुत्र रामौतारसिंह सिसौदिया निवासी सिंघवारी बताया। जमा तलाशी लिये जाने पर उसके पास एक माउजर लोडेड कट्टा मिला था जिसे उसने मौके पर जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। जप्ती पत्रक प्र०पी०-1 व गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी०-2 मौके पर बनाये थे। एवं थाना वापिस लाकर रोजनामचा में प्रविष्टि की गई थी। रोजनामचासान्हा की नकल प्र०पी०-5 बताई है तथा प्र०पी०-6 की एफ०आई०आर० लेखबद्ध कर अप०क०-98/11 दर्ज करना और उसी दिन साक्षी किशन व आरक्षक रामौतार के उसके द्वारा कथन लेना बताये गये हैं शेष विवेचना प्र०आर० गंगासिंह कुशवाह के द्वारा की जाना बताते हुए साक्ष्य के दौरान उसके द्वारा जप्त किया गया कट्टा आर्टिकल-ए-1 तथा कारतूस आर्टिकल-ए-2 ही मौके से आरोपी से जप्त करना कहे हैं।

13. आरक्षक दिलीप अ०सा०-2 ने मुख्य परीक्षण की जो साक्ष्य दी है उसमें अ०सा०-4 की अभिसाक्ष्य का समर्थन अवश्य किया है। यह सुस्थापित विधि है कि किसी भी साक्षी की साक्ष्य का मूल्यांकन उसके संपूर्ण अभिसाक्ष्य अर्थात् मुख्य परीक्षण, प्रतिपरीक्षण व पुनः परीक्षण को मिलाकर किया जाता है। इसलिये केवल मुख्य परीक्षण की साक्ष्य के आधार पर किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाना विधिसम्मत नहीं है। जबकि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का जो आलोच्य निर्णय है उसमें मुख्य परीक्षण की साक्ष्य पर ही अधिक बल देते हुए निष्कर्ष निकाले गये हैं।

14. ए०एस०आई० राकेश प्रसाद अ०सा०-4 ने अपने अभिसाक्ष्य के पैरा-2 में यह स्पष्ट किया है कि उसे गस्त के दौरान सूचना सुबह करीब साढ़े आठ बजे हरीराम की कुईया पर मिली थी। थाने पर नहीं मिली थी और हरीराम की कुईया से सिंघवारी करीब दो किलोमीटर है। गस्त के समय उसके साथ केवल पुलिस कर्मी थे जिनमें आरक्षक अवतारसिंह, दिलीपसिंह व चालक केशवदेव शर्मा थे। अन्य कोई व्यक्ति नहीं था अर्थात् चौकीदार किशन उनके साथ रास्ते से नहीं गया। उक्त साक्षी ने यह भी स्पष्ट किया है कि ग्राम सिंघवारी मतें करीब डेढ़ सौ घर हैं जिनमें लोग परिवार सहित रहते हैं। आरोपी को उनकी गिरफ्तारी 10-15 फीट दूर से देखा था जो उन्हें देखकर जल्दी जल्दी चलने

लगा था, भागा नहीं था। उस समय व पुलिस की गाड़ी में ही था। यह भी स्वीकार किया है कि ग्राम सिंघवारी में गलियाँ हैं और जीप तेजी से नहीं चल सकती है। पैरा-3 में उसने यह स्वीकार किया है कि आरोपी को आरक्षक अवतारसिंह ने जाकर पकड़ा था, उसने नहीं पकड़ा था व तलाशी उसने स्वयं ली थी लेकिन उस समय अपनी तलाशी किसी को नहीं दी जिसकी आवश्यकता वह स्वीकार करता है। लेकिन डेढ़ सौ घरों की बस्ती के बाद उसने किसी गाड़ी वाले को बुलाने का प्रयास किया हो, ऐसा उसकी साक्ष्य से परिलक्षित नहीं होता है। जिस चौकीदार किशन अ0सा0-1 को पंच साक्षी बनाया गया है वह ग्राम नौनेरा का चौकीदार है। ग्राम सिंघवारी में उसकी उपस्थिति किस प्रकार से सुनिश्चित हुई, इस बारे में भी कोई प्रमाण नहीं दिया गया है। हालांकि किशन ने तो समर्थन ही नहीं किया है और थाने पर कार्यवाही करना बताया गया है।

15. अ0सा0-4 यह भी स्पष्ट करता है कि कट्टा आरोपी कमर में बाईं तरफ लगाये था और मौके पर ही सीलड किया गया था। किन्तु जप्ती पत्रक प्र0पी0-1 के कॉलम नंबर-13 में सील नमूना अंकित न होना उसने स्वीकार किया है। उसने प्र0पी0-5 के रोजनामचासान्हा और प्र0पी0-6 की एफ0आई0आर0 में भी ऐसा कोई उल्लेख न करना स्वीकार किया है कि मौके पर कट्टा कारतूस सीलबंद किये गये। जिस स्थान से आरोपी को पकड़ा जाना बताया गया, उसके संबंध में पैरा-4 में उसने यह कहा है कि वहाँ नरेश अकेले का मकान है, सामने से आम रास्ता है जहाँ लोग आते जाते हैं। नरेश गोले को भी उसने मौके पर नहीं बुलाया था। किशन नोबा फैक्ट्री की तरफ से आ रहा था और मौके पर मिला था जिसका किशन ने कोई समर्थन नहीं किया है।

16. इस प्रकार से सर्वप्रथम आरोपी को अ0सा0-4 के द्वारा पकड़े जाने की स्थिति ही प्रकट नहीं हुई है बल्कि अवतारसिंह के द्वारा ही पकड़ा जाना वह कहता है और जिस समय अवतारसिंह ने पकड़ा था उस समय अ0सा0-4 पुलिस की जीप में ही बैठा था, ऐसा उसके अभिसाक्ष्य से स्पष्ट होता है। ऐसी स्थिति में आरक्षक अवतारसिंह का अभियोजन की ओर से साक्ष्य में परीक्षित कराया जाना अत्यंत आवश्यक था जो यह स्पष्ट कर सकता था कि उसने किस प्रकार से आरोपी को पकड़ा और कट्टा कारतूस कैसे मिला। राकेश प्रसाद अ0सा0-4 के विपरीत आरक्षक दिलीप सविता अ0सा0-2 का अभिसाक्ष्य आया है जिसने पैरा-1 में ही यह कहा है कि आरोपी को घेरकर पकड़ा गया था। अवतारसिंह ने आरोपी को चैक किया था तो उसके पास एक लोडेड कट्टा मिला था। जबकि अ0सा0-4 स्वयं चैक करना कहता है। यह साधारण विरोधाभास नहीं है और यह उस स्थिति में भी और गंभीर हो जाता है जबकि पंच साक्षियों का समर्थन प्राप्त न हो। इसके अलावा अ0सा0-2 के पैरा-3 में उसने यह तक कहा है कि कट्टा अवतारसिंह ने उसे हाथ में दिखाया था। इससे यह आशय निकलता है कि हमराह आरक्षक दिलीप ने आरोपी के कब्जे में कट्टा नहीं देखा। बल्कि पहली बार उसने जब देखा तब आरक्षक अवतारसिंह के हाथ में देखा और अ0सा0-2 को तो यह तक जानकारी नहीं है कि घटनास्थल पर जब पहुंचे थे तब वहाँ कौन कौन और कितने लोग खड़े थे। वह ग्राम सिंघवारी में आते जाते रहना तो स्वीकार करता है किन्तु नरेश गोले के मकान के अलावा और कितने मकान आसपास बने हैं, यह उसे पता नहीं है।

17. उक्त साक्षी का पैरा-5 में यह भी कहना रहा है कि ग्राम सिंघवारी के लोग फैक्ट्रीयों में चोरी करते रहते हैं। लेकिन इस तथ्य का विचाराधीन घटना से कोई सरोकार नहीं है उसे यह जानकारी नहीं है कि दरोगा जी ने आरोपी के कितने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराये थे। इससे बचाव पक्ष के इस तर्क को बल मिलता है कि मौके पर कोई कार्यवाही नहीं हुई और थाने पर सारी कार्यवाही की गई। बल्कि आरक्षक दिलीप जो कि

हमराह पुलिस बल में था वह अवश्य आरोपी को पकड़ा जाना और उसके शरीर के किस भाग से कट्टा कारतूस बरामद हुआ, उसका समर्थन करता।

18. इस प्रकार से आरोपी के कब्जे से कट्टा कारतूस लेते हुए ए0एस0आई0 राकेश पत्रसाद को किसी ने नहीं देखा है क्योंकि अ0सा0-2 आरक्षक अवतारसिंह के हाथ में कट्टा देखना कहता है और इससे बचाव पक्ष के इस तर्क को भी बल मिलता है कि आरक्षक दिलीप घटना की कार्यवाही करने वाले ए0एस0आई0 के अधीन कर्मचारी होने से ही समर्थन कर रहा है। इन बिन्दुओं पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय में कोई भी आधार स्पष्ट नहीं किया गया है जो कि तात्विक स्वरूप का विरोधाभाष और विषंगतियाँ हैं जो कि मौके की कार्यवाही को संदिग्ध बनाते हैं और उक्त प्रकरण में जिस प्रकृति का अपराध बताया गया है उसके लिये मौके की कार्यवाही ही सर्वाधिक महत्व की है।

19. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय की कण्डिका-17, 18 एवं 19 में जिन न्याय दृष्टांतों का उल्लेख किया है वे सर्वमान्य हैं और यह सुस्थापित विधि है कि पुलिस साक्षी को भी अन्य साक्षियों की भांति मूल्यांकन में लिया जाना चाहिए। उन पर केवल पुलिस कर्मी होने के आधार पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है न ही यांत्रिक तरीके से उनकी साक्ष्य को खारिज किया जा सकता है। परन्तु जहाँ स्वतंत्र साक्ष्य से कोई समर्थन न हो, पंच साक्षी समर्थन न करते हों, वहाँ पुलिस अधिकारी कर्मचारी की साक्ष्य हर प्रकार के संदेह से परे होना आवश्यक हैं। जबकि विचाराधीन मामले में अ0सा0-2 व 4 जो कि मौके के साक्षी हैं, और कार्यवाही में उपस्थित हैं, उनकी अभिसाक्ष्य में ही विरोधाभाष है और वे तात्विक स्वरूप के हैं तथा अ0सा0-4 ने तो यह तक स्पष्ट नहीं किया है कि उसे मुखबिर की सूचना गस्त के दौरान कहाँ मिली थी। हालांकि वह समय अवश्य बताता है। ऐसे में उपरोक्त वर्णित विरोधाभाषों के चलते अ0सा0-2 व 4 मौके की कार्यवाही के संबंध में कतई विश्वसनीय साक्षी नहीं हैं जिन पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विश्वास करके और तात्विक विरोधाभाषों और विषंगतियों को दृष्टिअज्ञान करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। ऐसे में अ0सा0-2 व 4 से प्र0पी0-1 व 2 की कार्यवाही और प्र0पी0-5 व 6 की कार्यवाही को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

20. शेष साक्षियों में अ0सा0-3 के रूप में आरक्षक आर्म्स मुहर्नर सुरेश दुबे को परीक्षित कराया गया है जिसने उसके समक्ष जांच हेतु भेजे कट्टा कारतूस को सही हालत में फायर योग्य होना पाते हुए प्र0पी0-4 की जांच रिपोर्ट तैयार करना कहा है जिसके अभिसाक्ष्य से केवल इस बात की पुष्टि होती है कि उसके समक्ष जो कट्टा कारतूस जांच को भेजे गये वह चालू हालत में फायर योग्य थे और उनको उपयोग में लिया जा सकता था किन्तु वे कट्टा, कारतूस आरोपी/अपीलार्थी से ही बरामद हुए। इस बारे में विश्वसनीय साक्ष्य का प्रकरण में अभाव है इसलिये उक्त साक्षी औपचारिक स्वरूप का हो जाता है।

21. अ0सा0-5 के रूप में योगेन्द्र सिंह कुशवाह को परीक्षित कराया गया है जिसने दिनांक 01.08.11 को जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के कार्यालय में आर्म्स लिपिक के पद पर पदस्थ रहते हुए थाना मालनपुर के अप0क0-98/11 में जप्त बताये गये कट्टा कारतूस और उससे संबंधित केसडायरी पुलिस अधीक्षक के पत्र क्रमांक-552 दिनांक 08.07.11 सहित अभियोजन स्वीकृति हेतु प्राप्त होने पर और आरक्षक बृजराजसिंह के द्वारा पेश करने पर तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी श्री अखिलेश श्रीवास्तव के द्वारा प्र0पी0-7 की अभियोजन स्वीकृति प्रदान की जाना बताते हुए अपने और तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी के हस्ताक्षरों को पहचाना है जिसके अभिसाक्ष्य से अभियोजन स्वीकृति दिये जाने में

तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी का न्यायिक विवेक का उपयोग करते हुए उसे प्रदान किया जाना ही अधिक से अधिक माना जा सकता है। किन्तु जब तक आरोपी/अपीलार्थी के आधिपत्य से जप्ती की पुष्टि सक्षम साक्ष्य से न हो तब तक उसे धारा-3 आयुध अधिनियम 1959 का उल्लंघन किया जाना नहीं माना जा सकता है न ही धारा-25(1-ख)(क) आयुध अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध ठहराया जा सकता है जिसका इस प्रकरण में अभाव है और मामला संदिग्ध है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष विधिसम्मत तथा साक्ष्य में आये महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर आधारित न होनेसे कतई पुष्टि योग्य नहीं है।

22. फलतः दाण्डिक अपील में उठाये गये बिन्दु और लिये गये आधारों में विधिक बल है जिससे प्रस्तुत की गई दाण्डिक अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। परिणामस्वरूप प्रस्तुत दाण्डिक अपील स्वीकार की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का प्र0क0-621/11 में पारित आलोच्य निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांकित 05.03.15 को अपास्त करते हुए आरोपी/अपीलार्थी गब्बरसिंह को धारा- 25(1-ख)(क) आयुध अधिनियम 1959 के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

23. आरोपी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जमा की गई अर्थदण्ड की राशि एक हजार रुपये अपील/ रिहोजन अवधि उपरान्त विधिवत वापिस किये जावें। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जावे।

24. आरोपी की ओर से अपील में प्रस्तुत जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

25. प्रकरण में जप्तशुदा 315 बोर का कट्टा व एक जीवित कारतूस के संबंध में आलोच्य निर्णय की कण्डिका-33 को यथावत रखा जाता है।

26. निर्णय की एक प्रति डी0एम0 भिण्ड की ओर भेजी जावे।

दिनांक: 08 दिसंबर-2015

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हस्ताक्षरित एवं दिनांकित
(शासकीय / विधिक उपयोग के लिए अमान्य)